रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0 पी0 सिटी –67/2024–26

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निषपक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया
(भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आदेश प्राप्त
एक मात्र संगठन)
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक इसके स्वयं सदस्य बनें
एवं सदस्यता हेतु अभियान चलायें।

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 47 ● अंक – 18 एवं 19 ● कानपुर 1 से 15 अक्टूबर 2025 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

समय की माँग इलेक्ट्रो होम्यापैथी को सम्मानजनक स्थान मिलना चाहिये

सरकार जितना विलम्ब करेगी आक्रोश उतना ही बढ़ता जायेगा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक वैज्ञनिक चिकित्सा पद्धति है

- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में स्नातक से कम पाठयक्रम मूल्यहीन
- ✓ पाठ्यक्रमों की अवधियों का होना चाहिये पुननिरीक्षण
- ✓ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कम अवधि के कोर्स मूल्यहीन
- ✓ शीर्ष संस्थायें गम्भीरता से विचार कर करें आत्ममंथन
- ✓ एकता मे शक्ति है हर स्थिति में एकता बनायें रखें
- ✓ पाठयक्रमों को ऐसा सृजित करें कि कोई कमी न रहे

पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबसे मज़बूत स्थिति के साथ खड़ी है, इस राज्य का एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थान बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीयन एवं अनुसंधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश प्राप्त है जिसके आधार पर यह संस्था पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है , इस संगठन के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है।

शासनादेश प्राप्त होने के बाद से ही बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे कि अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति की भाँति इस चिकित्सा पद्धति का नियमितीकरण हो एवं इस विधा के चिकित्सकों को भी शासकीय सेवाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इसके साथ साथ मान्यता के लिए जो आवश्यक मापदण्ड हैं उनकी भी पूर्ति की जाये इसी क्रम में जब शासन से पत्र व्यवहार किया गया तो एक बात उभर कर आयी कि यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता पानी है तो प्रचलित पाठ्यक्रमों का उच्चीकरण किया जाये साथ साथ जो आवश्यक विषय हों उनको भी समाहित किया जाये यह जानकारी जैसे ही बोर्ड के संज्ञान में आयी, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति ने इस विषय को गम्भीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

कोर्स और अवधि पर चर्चा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया समिति की अनुसंशा के आधार पर वर्तमान में प्रचलित कोर्स का विश्लेषण करवाया गया और नये कोर्स की अवधि और उसमें समाहित होने वाले विषयों के लिए फिर विषय विशेषज्ञों की राय ली गयी, राय के बाद इस प्रस्तावित कोर्स की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी तीन अलग अलग मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को दी गयी, एलोपैथी की तरफ से डा0 के0 सी0 सिंघल (**M.B.B.S.**) आयुर्वेद के क्षेत्र से डा0 ओम शंकर मिश्रा (आयुर्वेदाचार्य) व होम्योपैथी जगत से डा0 राजेन्द्र प्रसाद (**B.M.S.**) थे इन तीनों विधा विशेषज्ञों की विशेषज्ञ सलाह आने के बाद कोर्स का पुर्ननिरीक्षण करवाया गया और नये कोर्स की संरचना का काम प्रारम्भ कर दिया गया।

लगभग तीन महीनों के अथक परिश्रम के बाद अब नया कोर्स सरकारी मापदण्ड के अनुरुप 4+1 कोर्स **G.E.H.S.** व **P.G.E.H.** लाँच हो गया इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जिसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु सारे भारत वर्ष में दिखायी देने लगा।

यह एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नये युग के सूत्रपात्र जैसा था शीघ्र ही वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान हो इसलिए कार्य को ही प्रमुखता दी गयी है कार्य के आधार पर ही किसी भी विधा की उपयोगिता और गुणवत्ता निर्धारित होती है इसलिए बोर्ड से सम्बद्ध सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वह अपने विद्यालय से सम्बद्ध एक चिकित्सालय की स्थापना 17 जुन 2023 से पहले अवश्य कर लें, 15 जुलाई , 2023 से 15 सितम्बर, 2023 के मध्य बोर्ड द्वारा सभी विधालयों में दर्शायी जा रही संचालित डिस्पेंसरियों का औचक्क निरीक्षण कर उनका भौतिक सत्यापन किया जिन विधालयों में अनियमित्ता पायी गयी उन्हें चेतावनी देकर एक निश्चित समय सीमा के अन्दर व्यवस्थाओं को ठीक करने को कहा।

यह कदम कड़ा ज़रुर था परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत आवश्यक था डिस्पेंसरियों में आने वाले रोगियों और उनपर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर ही मान्यता की आधार शिला रखी जायेगी, आपको बता दें कि 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो नोटिस जारी था उस नोटिस में सुरक्षा और प्रभाव शब्द प्रयोग में लाये गये हैं इस आधार पर यह स्पष्ट है कि सरकार यह जानना चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा में जिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का प्रयोग किया जाता है वह कितनी सुरक्षित और कितनी प्रभावी हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कार्य से ही सम्भव है जब हमारे चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से ही चिकित्सा व्यवसाय करेंगे और रोगी को सुरक्षित लाभ देंगे तो निश्चित तौर पर यह परिणाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता और प्रभाविकता सिद्ध करने में सहयोग करेंगे।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के गोल्डेन जुबली समारोह के बाद बोर्ड ने मण्डल स्तर पर अपने प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश के मत्रियों, केन्द्र के मंत्रियों, विधायकों व सांसदों चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के सभी के पास भेजे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उ0प्र0 में स्थिति व अन्य राज्यों की स्थिति से अवगत कराते हुये बताया कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ही एक मात्र ऐसी संस्था है जिसे भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 जून, 2011 एवं राज्य सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर रखा है बोर्ड द्वारा संचालित सारे कोर्स सरकारी मानक के अनुरुप हैं जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है,हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान की सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सरकारी बोर्ड का गठन तक कर दिया है तो उत्तर प्रदेश क्यों पीछे है जबकि अन्य राज्यों की अपेक्षा उ0प्र0 में इलेक्ट्रो होम्योपैथी काफ़ी मज़बूत स्थिति में है, बात यहीं नहीं रुकी बोर्ड ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेद्र मोदी जी को भी पत्र लिख कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्ततमान स्थिति से अवगत कराया इसका असर यह हुआ कि पी0 एम0 ओ0 से मुख्य मंत्री कार्यालय तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर चर्चा होने लगी।

चूँकि चिकित्सा राज्य का विषय है और राज्यों द्वारा ही इसे नियन्त्रित किया जाता है ऐसे ही विचार उत्तर प्रदेश शासन ने अपने अद्यतन आदेश में प्रकट किये हैं, प्रथम दृष्टि में किसी भी चिकित्सा पद्धति की योग्यता के लिए उसके पाठयक्रमों का संतुलित होना बहुत आवश्यक है इसके साथ जो व्यवस्थायें होती हैं उनका अनुपालन भी बहुत आवश्यक होता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति वैसे तो अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस पद्धति से चिकित्सा करना, शिक्षा देना, अनुसंधान करने के अधिकार भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों से प्राप्त हैं और दोनों ही सरकारें हमें कार्य करने की पूरी अनुमति प्रदान करती हैं, वैसे इस समय देश और प्रदेश में बहुत कम संस्थायें अधिकारिक रूप से कार्य कर रही हैं फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अधिकार पाने के लिए प्रयासशील हैं और इसी उम्मीद में कार्य कर रहे हैं कि शीघ्र ही उ0प्र0 सरकार बोर्ड का गठन करेगी।

आज की इलेक्ट्रो होम्योपैथी

प्रत्येक नागरिक के देश के संविधान के अनुसार अधिकार होते हैं हालांकि नागरिकों के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य भी हैं लेकिन प्रायः कहीं पर इनकी कोई चर्चा नहीं होती है सिर्फ़ अधिकारों की ही बात होती है।

प्रदेश में वर्ष 1981 व 82 में आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक कालेजों के अर्जन (प्रान्तीकरण) एक्ट पारित हुए और कानून लागू हुआ, इससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता ही नहीं अस्तित्व का प्रश्न खड़ा किया जाने लगा, एक रिपोर्ट के आधार पर 6 जून 1984 को स्पष्ट हो गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी की परिभाषा में अच्छादित नहीं है, इसलिए ये कानून इलेक्ट्रो होम्योपैथी को प्रभावित नहीं करते, वर्ष 1988 में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक जांच कमेटी का गठन किया गया जिसकी रिपोर्ट में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रोकने की बात नहीं कही गयी।

वर्ष 1984 से 1992 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अधिकारिता पर अनेक प्रश्न खड़े किये गये, तमाम उतार चढ़ाव के बाद वर्ष 1996 में एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित की गयी जिसका निर्णय 18 नवम्बर,1998 को हुआ, निर्णय आदेश में माननीय न्यायालय ने केन्द्र/राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये जिसके अनुसार केन्द्र /राज्य सरकारों को निर्धारित बिन्दुओं पर कानून बनाना था, वर्ष 2003 तक किसी भी राज्य सरकार ने इसमें कोई रूचि नहीं दिखायी अनेक प्रयासों के बाद केन्द्र सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 को एक आदेश जारी किया जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा एवं चिकित्सा के लिये दिशा निर्देश है, इस आदेश को मीडिया ने इस तरह प्रचारित किया कि मानो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर प्रतिबन्ध लग गया हो इस तरह का प्रकाशन लगातार कई दिनों तक होता रहा जिससे सामान्य जन के साथ साथ समाज के सभी वर्गों शासन, प्रशासन और इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थायें/चिकित्सक भ्रमित हो गये सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गयी, यहां तक कि प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन अधिकारीगण भी इस शासनादेश को समझ नहीं पाये परिणाम यह हुआ कि प्रशासन ने स्वयं ही कार्यवाही करना शुरू कर दी, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर हो रहा था पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गयी, 25 नवम्बर 2003 का आदेश प्राप्त किया गया, उसका अध्ययन किया गया और पाया गया कि इसमें रोक जैसी कोई बात नहीं है अनेक प्रयासो के बाद 5–5–2010 को केन्द्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया जिसमें लिखा है कि 25 नवम्बर, 2003 के जारी आदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसंधान एवं विकास पर कोई रोक नहीं है, आप सभी को ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डी0के0जोशी बनाम उ0प्र0 राज्य जो 25–4–2000 को निर्णीत हुआ इसके अनुपालन हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या 820/2002 योजित हो चुकी थी इस याचिका में 28 जनवरी, 2004 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर निर्देश दिया गया जो चिकित्सक ज़िलों में सेवायें देंगे वे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में तथा जो संस्थायें प्रमाणपत्र जारी करेंगी वे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहां पंजीयन करायेंगी।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा न्यायालय आदेश का स्वागत किया गया और प्रत्यावेदन शासन को प्रस्तुत किया इसमें अभी कार्यवाही चल ही रही थी कि 01 जून, 2004 के शासनादेश के विरूद्ध योजित याचिका का निर्णय दिनांक 11–10–2010 को हो गया जिसका अनुपालन करते हुए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने दिनांक 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के पक्ष में एक आदेश परित किया जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु आदेश जारी कर सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया कि वह आदेश दिनांक 25–11–2003 व 5–5–2010 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्देश मानें।

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लाम्बित प्रतिवेदन को निस्तारित करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी शिक्षा एवं चिकित्सा हेतु उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग –6 ने एक कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 4 जनवरी, 2012 जारी किया जिसकी प्रति अन्य के साथ समस्त अपर निदेशक / मुख्य चिकित्साधिकारी को पृष्ठांकित की गयी है, इस आदेश को शासकीय आदेश के अनुसार परिचालित कराने हेतु समस्त अपर निदेशक चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा दिनांक 2–9–2013 को पत्र प्रेषित किया गया, शासनादेश दिनांक 4 जनवरी, 2012 द्वारा प्रदत्त अधिकार को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 में अधिकार दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है।

आज कल बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा राजस्थान सरकार के अनुरुप उ0प्र0 में भी सरकारी बोर्ड के गठन हेतु अभियान चल रहा है, अच्छे परिणाम शीघ्र ही मिलने की प्रबल सम्भावना है।

(मैटी निर्वाण दिवस के अवसर पर विशेष)

राज्यों को ही प्रमुखता दे रही है केन्द्र सरकार

मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी–डा0 इदरीसी

अधिकार पूर्वक कार्य करते हुए ही समाज को अपनी उपयोगिता बतायी जा सकती है और समाज में स्थापित हुआ जा सकता है यह विचार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आविष्कारक डा0 काउण्ट सीज़र मैटी की 130 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर बोर्ड के प्रशासनिक कार्यालय में आयोजित निर्वाण दिवस कार्यक्रम में व्यक्त किये डा0 इदरीसी ने कहा कि यद्यपि लगभग डेढ़ दशक से भी अधिक वर्षों से मैटी की पद्धति प्रचलन में है लेकिन उसे अभी भी वह सामाजिक स्वीकारिता नहीं प्राप्त है जो प्राप्त होनी चाहिये, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति जनोपयोगी न हो यह पद्धति जनोपयोगी है गुणकारी है साध्य और असाध्य दोनों तरह के रोगों पर समान रूप से प्रभावी है फिर भी स्थान क्यों नहीं ले पा रही है ? यह चिन्ता की बात नहीं है अपितु इसके लिए अधिकारपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है अभी तक जो कार्य किये गये हैं उसी का परिणाम है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो गया है, आज के दिन हम सबको यह संकल्प लेना चाहिये कि हम सब जो जिस क्षेत्र से जुड़ा है वह अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य करे, आज के दिन यही महात्मा मैटी को सच्ची श्रंदाजलि होगी, संचालन डा0 अतीक अहमद ने किया।

निर्वाण दिवस के अवसर पर बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी

List of Medical Institutes/Institute

Sr.	Code	Name	District	Principle & Mob.No.
1	01	Ashish Electro Homoeopathic Medical Institute	RAIBARELY	EH Dr. P. N. Kushwaha 9415177119
2	03	Awadh Electro Homoeopathic Medical Institute	LUCKNOW	Dr. Ashutosh Kapoor 7007592773 , 9125720111
3	05	Bhagwan Mahaveer Electro Homoeopathic Institute	JAUNPUR	EH Dr. P. K. Maurya 9451162709
4	06	Maa Sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	LAKHIMPUR	EH Dr. R.K. Sharma 9454236971
5	11	Chand Par Electro Homoeopathic Medical Institute	AZAMGARH	EH Dr. Mushtaq Ahmad 9415358163
6	12	Institute of Electro Homoeopathy	KANPUR	Contact No 9450153215,9415074806
7	13	Azad Electro Homoeopathic Medical Institute, Kintoor	BARABANKI	EH Dr. Habib-ur-Rehman 8574239344
8	14	Dr. R. C. Upadhyay Institute of Electro Homoeopathic	SADABAD	Dr. Mamita 8193940245
9	15	Electro Homoeopathic Medical Institute	SHAHJAHANPUR	EH Dr. Ammar-Bin-Sabir 9336034277
10	16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Institute	Shahganj JAUNPUR	EH Dr. S. N. Rai 9450088327
11	17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute	SIDDHARTH NAGAR	Dr.Ved Prakash Srivastav 9936022029

List of Study Centres

Sr.	Code	Name	District	Principle/ Manager & Mob.No.
12	51	Fatehpur E.H. Study Centre	FATEHPUR	EH Dr. Vakeel Ahmad 8115210751
13	52	Deoria E.H. Study Centre	DEORIA	EH Dr. P. K. Srivastav 9415826491
14	53	Bahraich E.H. Study Centre	BAHRAICH	Dr. Bhoop Raj. Srivastav 9451786214
15	54	Unnao E.H. Study Centre	UNNAO	EH Dr. Gaurav Dwivedi 9935332052
16	55	Walidpur E.H. Study Centre	Walidpur MAU	EH Dr. Ayaz Ahmad 9305963908
17	56	Aarti E.H. Study Centre	JALAUN	EH Dr. Gaya Prasad 8874429538
18	57	B.K. E.H. Study Centre	HAMIRPUR (U.P.)	EH Dr. N.B.Nigam 7007352458
19	58	Electro Homoeopathic Study Centre	Hasanganj UNNAO	Hakim Mohd. Rashid Hayat 9005680843
20	59	Sirsaganj E.H. Study Centre	Sirsaganj FIROZABAD	EH Dr. Mohd. Israr Khan 9634503421
21	60	Etawah E.H. Study Centre	ETAWAH	EH Dr. Mohd. Akhlak Khan 7417775346
22	61	Firozabad E.H. Study Centre	FIROZABAD	EH Dr. Shiv Kumar Pal 9027342885
23	62	D.L.M.M. Study Centre of E.H.	MAHARAJGANJ	EH Dr. Prince Srivasta 7398941680
24	63	Kushwaha E.H. Study Centre	KANPUR	EH Dr. Ram Autar Kushwaha 9793264649
25	64	Rajendra E.H. Study Centre	VARANASI	Mr. Shashi Kant Maurya 7007730953
26	65	P. R. D. Medical Centre of Electro Homoeopathy	LUCKNOW	EH Dr. Parikhan Ram Dhusia 9250959501
27	66	Electro Homoeopathic Study Centre	MAINPURI	EH Dr. Bahadur Ali 8273125464
28	67	Aarogya Electro Homoeopathic Study Centre	JHANSI	EH Dr. Rajesh Tyagi 9415506749
29	68	Karishma Electro Homoeopathic Study Centre	AGRA	EH Dr. Mohar Shree 7500375933

AUTHORISED STUDY CENTRES OF OTHER STATES

Sr.	Code	Head of Centre	Address	District
30	81	Gautam Budh Electro Homoeopathic Study Centre	374/4 Shaheed Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar, DELHI-110090	EH Dr. Devendra Singh Mobile No 9818120565
31	82	The New Era of Electro Homoeopathy Study/Guidance Centre	12/1891 Ground Floor, Shop No: 3, Honey Park Apartment, Saiyed Wada, Shahpore, SURAT-395003	EH Dr. Abdul Rahman Khan Mobile No 8000241542

LIST OF AUTHRISED EXAMINATION CENTRES

Sr.	Code	Name of Examination Centre	Address	Name of Supdt. & Mobile No.
32	94	E.H. Examination Centre	B.E.H.M.UP. KANPUR	Registrar B.H.M.U.P 0512-2970704
33	96	E.H. Examination Centre	RAIPUR (Chattisgarh)	Dr. Rakesh Dubey 7714915587

Registrar
B.E.H.M.U.P.

उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जल्द मिलेगी सौगात– डा0 संजय कुमार निषाद

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आयुष एवं होम्योपैथी से नहीं कोई सम्बन्ध

पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का व्यापक स्तर पर करना होगा प्रदर्शन

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, द्वारा आदेश प्राप्त एक मात्र संगठन
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल ऐसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया (**E.H.M.A.I.**) द्वारा जनहित में जारी

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–208014 से प्रकाशित किया।